Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 212–2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 20, 2021 (AGRAHAYANA 29, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th December, 2021

No. 37-HLA of 2021/93/31841.— The Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2021 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 37-HLA of 2021

THE HARYANA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (AMENDMENT) BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Act, 2021. Short title.

2. In sub-section (1) of section 23 of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 23 of Haryana Act 23 of 1961.

(i) after the words "fees on the agricultural produce", the words and figure "as specified in Part I of the Schedule" shall be inserted;

(ii) after sub-section (1), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(1A) A Committee may, subject to such rules, as may be made by the State Government in this behalf, levy lump sum fee on a licensee who has obtained license for processing under this Act and bought or brought such processed agricultural produce, as may be specified in Part II of the Schedule in the notified market area for further processing.

(1B) A Committee may, subject to such rules, as may be made by the State Government in this behalf, levy lump sum fee on the dealer of such fruits and vegetables, as specified in Part III of the Schedule in the notified market area.".

Amendment of Schedule to Haryana Act 23 of 1961.

3. In the Schedule to the principal Act,–

(i) for the words, figures and brackets "[See section 2(a) and section 38]", the following words, figures and brackets shall be substituted, namely:–

"[see sections 2(a), 23 and 38]

Part I

[see section 23 (1)]";

(ii) after Part I and entries thereunder, the following heading shall be added, namely:–

"Part II

[see section 23 (1A)]";

(iii) after Part II, the following heading shall be added, namely:–

"Part III

[see section 23 (1B)]".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 regulates the sale, purchase, processing etc. of the agricultural produces as well as processed product of such agricultural produces as specified in its schedule. However, in certain processing, such processed product are used as raw material and they primarily purchase it from the traders and not from the farmers. Therefore, to achieve the object of "ease of doing business" mission of the Government, it is proposed that an enabling provision should be made to levy market fee on such processing units on lump-sum basis in lieu of ad-valorem basis.

Similarly, the purchase of fruits and vegetables is substantially made in small quantities in mandis and therefore an enabling provision to levy lump-sum fees on the dealers of fruits and vegetables is proposed to achieve the object of "ease of doing business" mission and to minimize the process of enforcement.

It would be appropriate to summarize that the **"Haryana Agricultural Produce Markets (Amendment) Bill, 2021"** intends to achieve the object of "ease of doing business" mission in big way and would also provide remunerative prices to the farmers due to healthy competition amongst the dealers.

JAI PARKASH DALAL,
Agriculture Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 20th December, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 37–एच.एल.ए.

हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

1961 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 23 का संशोधन।

2. हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 23 की उप–धारा (1) में,–

(i) ''कृषि उपज मूल्यानुसार, ऐसी दर पर'' शब्दों के बाद, ''अनुसूची के भाग I में यथा विनिर्दिष्ट'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के बाद, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

''(1क) कोई समिति, ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, किसी अनुज्ञप्तिधारी, जिसने इस अधिनियम के अधीन प्रसंस्करण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की है और जिसने आगामी प्रसंस्करण के लिए अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में ऐसी प्रसंस्कृत कृषि उपज, जो अनुसूची के भाग–II में विनिर्दिष्ट की जाए, खरीदी है या लाई है, पर एकमुश्त फीस उद्गृहीत कर सकती है।

(1ख) कोई समिति, ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में ऐसे फलों तथा सब्जियों, जो अनुसूची के भाग–III में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के व्यवहारी से एकमुश्त फीस उद्गृहीत कर सकती है।''।

1961 के हरियाणा अधिनियम 23 की अनुसूची का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की अनुसूची में,–

(i) ''{दिखिए धारा 2 (क) तथा धारा 38}'' शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''{दिखिए धारा 2 (क), 23 तथा धारा 38}

भाग–I

{दिखिए धारा 23 (1)}'';

(ii) भाग–I तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''भाग–II

{दिखिए धारा 23 (1क)}'';

(iii) भाग–II के बाद, निम्नलिखित शीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

''भाग–III

{दिखिए धारा 23 (1ख)}''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 इसकी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कृषि उपज तथा ऐसी कृषि उपज के प्रसंस्कृत उत्पाद के विक्रय, क्रय, प्रसंस्करण इत्यादि को विनियमित करता है। तथापि कतिपय प्रसंस्करण में ऐसे प्रसंस्कृत उत्पाद कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाते है जो कि मुख्य रूप से व्यापारियों से क्रय किए जाते है तथा न कि किसानों से क्रय किए जाते है। इसलिए, सरकार के "व्यापार करने की आसानी" के मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि यथा मूल्य आधार के बदले में एकमुश्त आधार पर ऐसी प्रसंस्करण इकाईयों पर मण्डी फीस उद्ग्रहण करने के लिए समर्थ उपबन्ध किए जाने चाहिए।

इसी प्रकार, मण्डियों में विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं द्वारा फल तथा सब्जियों का क्रय लघु मात्रा में भरपूर रूप से किया जाता है तथा इसलिए फलों तथा सब्जियों के व्यापारियों पर एकमुश्त फीस उपग्रहण करने के समर्थ उपबन्ध "व्यापार करने की आसानी" मिशन के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा प्रवर्तन की प्रक्रिया को कम करना प्रस्तावित किया गया है।

यह सार प्रस्तुत करना उचित होगा कि **''हरियाणा कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2021''** ''व्यापार करने की आसानी'' मिशन के उद्देश्य को बड़े पैमाने पर प्राप्त करने पर विचार करता है तथा व्यापारियों में लाभप्रद प्रतियोगिता के कारण किसानों को लाभकारी मूल्य भी मुहैया कराएगा।

जय प्रकाश दलाल,
कृषि मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 20 दिसम्बर, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।